नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ
(जिला स्थापना शाखा)

संचिका संख्या –69–01/17 पत्रांक 569/स्था0, दिनांक 19/06/2017

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा ।

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,
रेल, पटना ।

विषय :- **कार्यपालक सहायक उपलब्ध कराने के संबंध में ।**

प्रसंग :- आपके पत्रांक 704/हि0शा0 दिनांक 19.05.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रसांगिक पत्र से रेल परियोजना अंतर्गत अधिष्ठापित कम्प्यूटरों के संचालन एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरों के सुचारू कार्यान्वयन तथा CCTNS योजना के क्रियान्वयन हेतु 01 कार्यपालक सहायक की अधियाचना की गई है । उक्त अधियाचना के आलोक में जिला में संधारित कार्यपालक सहायक के पैनल से रोस्टर बिन्दु के अनुसार निम्नांकित कार्यपालक सहायक का नाम अग्रेतर कार्रवाई हेतु निम्न प्रकार भेजा जाता है :-

क्र0	रोस्टर बिन्दु	आरक्षण कोटि	कार्यपालक सहायक का नाम का नाम	अभ्यर्थी का कोटि	पिता का नाम	जन्म तिथि	आवसीय पता	मोबाईल नं0
1	2	3	4	5	6	8	8	9
1	568	अन0 जाति	विशाल कुमार	पि0व0	श्री लखीचन्द्र प्रसाद	02.11.1996	मो0- महलपर, डॉ0 बंगाली मोर के निकट पो0+थाना- बिहारशरीफ जिला- नालन्दा	7764996255

अतः निम्नांकित शर्त्तो के अनुसार उपरोक्त कार्यपालक सहायक का नियोजन पत्र अपने स्तर से निर्गत करना सुनिश्चित करेगें ।

1. उपरोक्त नियोजित कार्यपालक सहायक को प्रति माह 11345/-(ग्यारह हजार तीन सौ पैतालीस) रूपये मानदेय के रूप में भुगतान किया जाएगा । कम्प्युटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी ।
2. नियोजित कार्यपालक सहायक को अपने साथ निम्नलिखित कम्प्युटर हाईवेयर लाना होगा ।

   क - डेस्क टॉप, ख- एक प्रिंटर,
   ग- एक यू0 पी0 एस0, घ- इन्टरनेट कनेकशन हेतु डाटा कार्ड
3. कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी ।
4. यह नियोजन अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए अथवा यदि विभाग के द्वारा पहले समाप्त किया जाता है तब उस अवधि के लिए होगी एवं आवश्यकतानुसार बढ़ायी जा सकेगी । नियोजित कार्यपालक सहायकों द्वारा किये गये कार्यो का मोनिटरिंग के पश्चात कार्य असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में बिना कारण बताये संविदा रद्द कर दिया जाएगा ।
5. नियोजित कार्यपालक सहायकों द्वारा नियोजित पद से त्याग करने की स्थिति में उन्हे एक माह पूर्व सूचना देनी होगी। निर्धारित समय के अन्दर पद त्याग करने की स्थिति में त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी, अथवा एक माह का मानदेय भुगतान रोक ली जायेगी ।
6. संविदा पर नियोजित कार्यपालक सहायक का सरकारी सेवा हेतु किसी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

7. योगदान के साथ असैनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र दो फोटो तथा नियोजन की शर्त्त को मानने संबंधी एकरारनामा पदस्थापित कार्यालय में समर्पित करना होगा ।
8. शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र पदस्थापित कार्यालय द्वारा संबंधित संस्थान/कार्यालय से सत्यापन कराने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही मानदेय का भुगतान किया जायेगा ।
9. नियोजित कार्यपालक सहायक को पत्र प्राप्ति के साथ अविलम्ब योगदान देना होगा । अन्यथा उनकी संविदा रद्द कर दी जायेगी ।
10. नियोजन अविध पूर्ण होने से एक माह पूर्व संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा नियोजित कार्यपालक सहायक का कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन एवं कार्य अवधि विस्तार की अनुशंसा भेजना अनिवार्य होगा । ससमय अनुशंसा प्राप्त नहीं होने पर संविदा स्वतः रद्द हो जायेगी । इसके लिए कोई अलग से पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा एवं जिला में संधारित कार्यपालक सहायक के पैनल से रिक्ति स्थान पर नियोजन की प्रक्रिया की जायेगी ।

विश्वासभाजन

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा ।

ई—मेल :— dm-nalanda.bih@nic.in
फैक्स सं0 :— 06112-235205(R), 236854(O)
दूरभाष सं0 :—06112-235204(R), 235203(O)
जिला बेवसाईट :—http://nalanda.bih.nic.in